भारत में ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज : एक ऐतिहासिक अध्ययन

रश्मि राज

भारत की आजादी के साथ ही योजनाबद्ध विकास की अवधारणा के प्रति राष्ट्र संकल्पित था। आयोजना प्रक्रिया की जटिलता के मद्देनजर नीतियों तथा संस्थाओं का एक वृहत ढाँचा के साथ-साथ उसके क्रियान्वयन हेतु एक प्रभावकारी तंत्र की जरूरत महसूस की गयी। आयोजना की समावेशी प्रकृति ने भी विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए समेकित / एकीकृत सांस्थानिक तंत्र को आवश्यक माना। जिला बोर्ड तथा ग्राम पंचायतों के रूप में स्थानीय स्व-शासन की संस्थाओं को एक समान कार्य करने के लिए एकीकृत किया जाना था। इस संस्थाओं को ग्रामीण विकास की संस्थाओं के रूप में देखा जाने लगा जो संस्थागत परिप्रेक्ष्य को व्यापक बना दिया।

प्रशासनिक दृष्टि से 'जिला' जिसकी पैदाइस 18वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्यांश में हुई थी, स्थानीय प्रशासन की मूलभूत इकाई हो गयी है। 'क्षेत्रीय प्रशासन' की इस स्थानीय इकाई की उत्पत्ति कुछ लेखकों ने मौर्यवंश के राजाओं, गुप्त साम्राज्य तथा राजस्व प्रशासन की मुगल व्यवस्था से माना है परंतु ब्रिटिश प्रशासन के मूलभूत इकाई के रूप में 'जिला' का आरंभ 1772 में कलक्टर की नियुक्ति के साथ हुई। कॉर्नवालिस व्यवस्था तथा मुनरों व्यवस्था के रूप में स्थानीय प्रशासन के प्रतियोगी मॉडल्स के परिणामस्वरूप कलक्टर की वास्तविक भूमिका उजागर हुआ। एवं 1857 के बाद ब्रिटिश प्रशासन के एक शक्तिशाली इकाई के रूप में स्थायी कर दिया गया। बाद में फेमिन कमीशन तथा डीसेंट्रलाइजेशन कमीशन के प्रबोधन तथा स्वतंत्रता आंदोलन की प्रगति से उत्पन्न कानून व्यवस्था' के बढ़ते महत्व ने जिला को क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई का केंद्र बना दिया जिसके दो मुख्य प्रशासनिक उद्देश्य थे, यथा, राजस्व की वूसली तथा कानून व्यवस्था का अनुरक्षण।